न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

प्रार्थना–पत्र सं० 146 सन् 2018

अनवान :–

1. ईमरताराम पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल–

बनाम

1. सुन्दर देवी पत्नी मोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मंगाजल 3. केसाराम 4. बृजाराम पि० मोपीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
6. उप पंजीयक राममढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मागेंराम गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 19/07/2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 124 की कुल 6.1210हैव भूमि जो पूर्व में अराजीराज थी जिसको काफी मेहनत करके सायल ने उपजाउ बनाया जिसके लगभग 70 सालो से काश्त करता आ रहा है उक्त भूमि की आवंटन प्रक्रिया सायल ने ही की थी तथा समस्त राशि सायल ने ही जमा करवाई थी लेकिन परिवार मे बडा होने के कारण उक्त भूमि भोपालराम के नाम दर्ज हो गई जिसकी कई बार पंच पंचायती होने पर भोपालसिंह ने कहा की उक्त भूमि में सायल के नाम करवा दुगाँ अब उसके मन में खोट आ गया है और उसने यह भूमि अपने लडके मोपीराम की पत्नी तथा लडको के नाम करवा दी जिससे सायल के हकों का हनन होता है इसलिये सायल न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि वह विवादित भूमि में गैरसायल का नाम कलमजन किया जाकर सायल का नाम दर्ज किया जावे।

सायल एक गरीब किसान है गैरसायल तेज तर्रार लोग है जो जमाबन्दी में अंकन होने का फायदा उठा कर सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है एवं रिकार्ड में नाम होने का फायदा उठा कर कभी भी भूमि रहन बैय कर सकते है इसलिये सायल को पाबन्द किया जावे।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा सांगठिया के खसरा न0 124 की कुल 6.1210हैव भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल न0 5 ,6 की और से पेरोकार राज उपस्थित हो फोरमल पक्षकार है एव गैरसायल न0 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की

सायल वादग्रस्त भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है जिसे प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है ना ही सायल का वाद भूमि पर कब्जा है। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 38 में 25.00 बीघा थी जो भोपालाराम के कब्जा काश्त में थी तथा दिनाक 1.7.1968 को भोपालराम को आवटित कर दी गई थी। भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा न0 38 की भूमि को हाल खसरा न0 124 में पैमुद किया जाकर भोपालराम

Scanned with CamScanner

के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गई थी जो जीवन पर्यन्त काश्त करता रहा है जिसने गैरसायल न0 1 ता 4 की सेवा से प्रसन्न होकर जरिये दानपत्र दान की गई थी दानपत्र के अनुसार नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 6.6.2019 को वाद भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है।

विवादित भूमि भोपालसिह को दिनांक 01.07.1968 होने के कारण स्वअर्जित भूमि होना साबित है जिसे दानपत्र करवाने का पूर्ण अधिकार था एवं दानपत्र के जरिये भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है उक्त आवंटन आदेश एवं दानपत्र को खारिज करवाये बिना सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है गैरसायल राजस्व रिकार्ड मे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है केवल गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर दिनांक 28.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सांगटिया के खसरा न0 124 की कुल 6.1210हैक भूमि जो पूर्व में अराजीराज थी जिसको काफी मेहनत करके सायल ने उपजाऊ बनाया जिसके लगभग 70 सालों से काश्त करता आ रहा है उक्त भूमि की आवंटन प्रक्रिया सायल ने ही की थी तथा समस्त राशि सायल ने ही जमा करवाई थी लेकिन परिवार में बडा होने के कारण उक्त भूमि भोपालराम के नाम दर्ज हो गई जिसकी कई बार पंच पंचायती होने पर भोपालसिह ने कहा की उक्त भूमि में सायल के नाम करवा दुगाँ अब उसके मन में खोट आ गया है और उसने यह भूमि अपने लडके गोपीराम की पत्नी तथा लडकों के नाम करवा दी जिससे सायल के हकों का हनन होता है सायल एक गरीब किसान है गैरसायल तेज तर्रार लोग है जो जमाबन्दी में अंकन होने का फायदा उठा कर सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है एवं रिकार्ड में नाम होने का फायदा उठा कर कभी भी भूमि रहन बैय कर सकते है इसलिये सायल को पाबन्द किया जावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सांगटिया के खसरा न0 124 की कुल 6.1210हैक भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखने हेतु गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल वादग्रस्त भूमि का किसी श्रेणी का टिनन्ट नही है जिसे प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है ना ही सायल का वाद भूमि पर कब्जा है। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा सांगटिया के खसरा न0 38 में 25.00 बीघा थी जो भोपालाराम के कब्जा काश्त में थी तथा दिनांक 1.7.1968 को भोपालराम को आवंटित कर दी गई थी। भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा न0 38 की भूमि को हाल खसरा न0 124 में पैमुद किया जाकर भोपालराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी जो जीवन पर्यन्त काश्त करता रहा है जिसने गैरसायल न0 1 ता 4 की सेवा से प्रसन्न होकर जरिये दानपत्र दान की गई थी दानपत्र के अनुसार नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 6.6.2019 को वाद भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है।

विवादित भूमि भोपालसिह को दिनांक 01.07.1968 होने के कारण स्वअर्जित भूमि होना साबित है जिसे दानपत्र करवाने का पूर्ण अधिकार था एवं दानपत्र के जरिये भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है उक्त आवंटन आदेश एवं दानपत्र को खारिज करवाये बिना सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है गैरसायल राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है केवल गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर दिनांक 28.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक

Scanned with CamScanner

हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरसायल न0 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है सायल किसी भी प्रकार का टिनेन्ट राजस्व रिकार्ड में नही है गैरसायल के नाम भोपालराम के दानपत्र के आधार पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है यदि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सायल को किसी प्रकार को कोई प्रभाव नही होगा क्योकि सायल किसी प्रकार का टिनेन्ट ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है गैरसायल न0 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 1 ता 4 के पक्ष में सावित होता है।

अपूर्णीय क्षति का बिन्दु का जहाँ तक प्रश्न है वह भी सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल के पक्ष में है क्योकि ~~वह~~ गैरसायल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति खातेदार काश्तकार को होगी।

इसप्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल न0 1 ता 4 के पक्ष में सावित होते है सायल ने मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत पेश नही किये गये है कथनों के आधार पर किसी खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 28.12.2018 को रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 124 की 6.1210हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/3/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner